

क्रमांक:—एफ4(3)08-09 / वउ / प्रमुवसं / 249

दिनांक 1-2-2010

कार्यालय आदेश


राज्यादेश संख्या एफ12(24)वन/08 दिनांक 22.6.09 द्वारा वन विभाग में सभागीय प्रणाली लागू किये जाने के परिणामस्वरूप इस कार्यालय द्वारा पूर्व में जारी आदेश संख्या 9994-10027 दिनांक 21.12.04 से तेन्दू पत्ता इकाईयो के व्ययन हेतु निविदाएं खोलने, उनका नियमानुसार परीक्षण कर टिप्पणी देने, तुलनात्मक मानचित्र तैयार करने तथा अपनी अभिशंषा करने हेतु गठित स्थाई कमेटी में अब निम्नानुसार आंशिक संशोधन किया जाता है :-

1. मुख्य वन संरक्षक (संबंधित संभाग)
2. उप वन संरक्षक / मण्डल वन अधिकारी (संबंधित वन मण्डल)
3. वित्तीय सलाहकार द्वारा मनोनीत मुख्य वन संरक्षक कार्यालय तथा उनके अधिनस्थ कार्यालयों में पदस्थापित उच्चतमस्तर के लेखाधिकारी / सहायक लेखाधिकारी / लेखाकार

उक्त कमेटी द्वारा तदोपरान्त टेंडरों को आवश्यक कार्यवाही हेतु बिकी एवं व्ययन समिति को प्रस्तुत किये जावेंगे जो अपनी सिफारिश सहित उसे अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित करेंगे।

पुर्व-1

1/2/10


प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक:—एफ4(3)08-09 / वउ / प्रमुवसं / 250-76

दिनांक 1-2-2010

प्रतिलिपि निम्नांकित को इस कार्यालय के समसंख्यक पत्रांक 9994-10027 दिनांक 21.12.04 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. ^{प्रमुख} शासन सचिव वन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. उप शासन सचिव वित्त(अंकेक्षण) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. अति.प्रधान मुख्य वन संरक्षक(उत्पादन) राज.जयपुर।
4. मुख्य वन संरक्षक उदयपुर/जोधपुर/कोटा/जयपुर/भरतपुर/अजमेर/तेन्दू पत्ता जयपुर।
5. निदेशक निरीक्षण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. वित्तीय सलाहकार कार्यालय प्रधान मुख्य संरक्षक, राजस्थान, जयपुर।
7. मण्डल वन अधिकारी / उप वन संरक्षक, कोटा/ बूंदी/ बारां, / झालावाड/ बांसवाडा/ उदयपुर(द0)/ उदयपुर(म0)/ डूंगरपुर/सिरोही/प्रतापगढ़/जोधपुर/चित्तौड़गढ़/भीलवाडा/अलवर/धौलपुर


प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
राजस्थान, जयपुर।

Rcm